उत्तराखण्ड शासन

संस्कृति विभाग
उत्तराखण्ड

विभागीय नियमों, विधियों, शासनादेशों, कार्यालय ज्ञापों आदि का संकलन

संख्या–355 / VI-I / 2006–9(19) / 2006

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

1. निदेशक,
संस्कृति निदेशालय,
देहरादून।

2. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तरांचल।

सं0 3201 / अ.स.शि. / सामान्य / 2005-06
दिनांक 15/XI/06

संस्कृति अनुभाग — देहरादूनः दिनांकः 13 नवम्बर, 2006

विषय :– संस्कृति विभाग की योजना के अन्तर्गत मूर्तियों की स्थापना/स्मारक निर्माण आदि हेतु दिशा–निर्देशों के गठन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रकरण पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संस्कृति विभाग को मूर्तियों/स्मारकों के निर्माण के विभिन्न प्रस्ताव प्राप्त हो रहे हैं, जिनमें कई कमियां पायी जाती हैं तथा कई बार स्थल चयन या रख–रखाव आदि में अत्यन्त कठिनाईयां आती है। इसके अतिरिक्त मूर्तियों/स्मारकों की बनावट या उनके विवरण पर विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है। इस दृष्टि से संस्कृति विभाग की योजना के अधीन मूर्ति स्थापना अथवा स्मारक निर्माण के प्रस्ताव [illegible] हेतु निम्नलिखित मार्ग निर्देश गठित किए जा रहे हैं :–

1. वर्ष, 1857 के पूर्व ऐतिहासिक व्यक्तित्वों/विभूतियों की मूर्तियों अथवा स्मारकों के प्रस्ताव नहीं किया जाएगा।
2. केन्द्र व राज्य पुलिस बलों, सशस्त्र बलों तथा सेना के तीनों अंगों की दिवंगत विभूतियों की मूर्तियों/स्मारक भी इस योजना के अधीन प्रस्तावित नहीं किए जाएंगें, विशेष परिस्थितियों में ऐसे प्रस्तावों पर जिलाधिकारी के माध्यम से शासन का मार्गदर्शन प्राप्त किया जाएगा।
3. जिन विभूतियों या व्यक्तियों की मूर्ति या स्मारक स्थापित करने का प्रस्ताव किया जा रहा है, यदि वे सुविख्यात नहीं हैं तब उनका जीवनवृत्त एवं उनसे संबंधित प्रकाशनों/कार्यों का विवरण एवं प्रतियां प्रस्ताव के साथ उपलब्ध करायी जाएं।
4. जिस स्थान पर मूर्ति स्थापित किए जाने का प्रस्ताव हो उस क्षेत्र से संबंधित पंचायत या नगर निकाय के क्षेत्रान्तर्गत हो वहां भूमि निःशुल्क उपलब्ध करायी जाएगी। इसके अतिरिक्त इसके रख–रखाव का लिखित उत्तरदायित्व भी स्वीकार किया जाएगा। निःशुल्क भूमि तथा रख–रखाव के संबंध में संबंधित स्थानीय निकाय के बोर्ड या परिषद में प्रस्ताव पारित करा कर उसकी प्रति प्रस्ताव के साथ संलग्न की जाएगी।
5. संस्कृति विभाग द्वारा स्थापित होने वाले प्रत्येक स्मारक अथवा मूर्ति पर एक पट्टिका स्थापित की जाएगी, जिस पर संबंधित विभूति के व्यक्तित्व व कृतित्व की प्रमुख जानकारी अंकित की जाएगी। इस पट्टिका में अंकित की जाने वाली

(अमिताभ श्रीवास्तव)
अपर सचिव
संस्कृति,खेल, युवा कल्याण
एवं धर्मस्व कार्य विभाग
उत्तरांचल शासन

सामग्री/विवरण पर विज्ञापन के माध्यम से सार्वजनिक आपत्ति/सुझाव प्राप्त किये जाएंगे एवं इस संबंध में संबंधित विश्वविद्यालय से भी परामर्श किया जाए। प्रतिमाओं/स्मारकों की स्थापना के प्रस्ताव संबंधित पंचायत या नगर निकाय की बोर्ड बैठक में सहमति के उपरान्त ही स्वीकृत किए जाएंगे। प्रतिमाओं स्मारकों पर अंकित होने वाली पट्टिका पर अंकित किया जाने वाला विवरण भी संबंधित पंचायत/नगर निकाय की बैठक में अनुमोदित कराया जाएगा।

6. जहां प्रतिमा/स्मारक निजी भूमि पर स्थापित किया जाना प्रस्तावित हो वहां आच्छादित भूमि राज्य सरकार के पक्ष में हस्तान्तरित कर पंजीकृत दाननामा की प्रति प्रस्ताव के साथ संलग्न की जाएगी। निजी भूमि पर प्रस्तावित प्रतिमा/स्मारकों के प्रस्ताव भी संबंधित पंचायत या नगर निकाय के माध्यम से ही प्रेषित किये जाएंगे।

7. स्थापित होने वाली मूर्ति/प्रतिमा का रेखाचित्र तैयार कराया जाएगा, इन रेखाचित्र पर दिवंगत विभूति के उत्तराधिकारियों का अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा तथा मूर्तिकार अथवा रेखाचित्रकार से बनवाये गए ऐसे चित्र पर संबंधित स्थानीय निकाय का अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा। उत्तराधिकारी न मिलने की दशा में अथवा उनके द्वारा मना करने पर शासन का मार्ग दर्शन प्राप्त किया जाएगा।

8. मूर्ति का निर्माण स्थापित मूर्तिकार से कराया जाएगा तथा अन्य सिविल कार्य राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त निर्माण इकाईयों से कराया जाएगा।

9. चूंक यह संस्कृति विभाग की स्थायी योजना है। अतः, विभागीय योजना के अन्तर्गत मूर्तियों के निर्माण हेतु राज्य स्तर पर निदेशक, संस्कृति द्वारा मूर्तिकारों को इम्पैनल करने की कार्यवाही की जाय। इम्पैनलमैंट के उपरान्त उन्हीं मूर्तिकारों से मूर्तियां बनवाई जाए, जिनका चयन किया जाए।

10. यह योजना जिला योजना के अन्तर्गत है। अतः मूर्ति स्थापना के संबंध में जिला पुलिस प्रशासन से अनापत्ति के उपरान्त जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति द्वारा उपरोक्तानुसार तैयार प्रस्ताव अनुमोदित किया जाएगा तथा ऐसे प्रत्येक प्रस्ताव के लिए परिव्यय भी अनुमोदित किया जाएगा। जनपदवार अनुमोदित परिव्यय के अनुरूप एवं जिलाधिकारियों से प्राप्त आंगणनों के अनुरूप धनराशि संबंधित जिलाधिकारी के निवर्तन पर रख दी जाएगी। इस धनराशि के समयबद्ध व्यय एवं सदुपयोग का उत्तदायित्व संबंधित जिलाधिकारी का होगा।

तद्नुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाए तथा इस आदेश को सूचना का अधिकार मैनुअल में भी यथा स्थान सम्मिलित किया जाए।

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)
सचिव

पृष्ठांकन संख्या–355/VI-I/2006–9(19)/2006, तद्दिनांकित

प्रतिलिप निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी के सूचनार्थ।
2. समस्त निजी सचिव, मा0 मंत्रीगण, मा0 राज्यमंत्रीगण को मा0 मंत्रीगणों के सूचनार्थ।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन को मुख्य सचिव महोदय के सूचनार्थ।
4. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन।
5. सचिव, नगर विकास को नगरपालिकाओं/स्थानीय निकायों को प्रसारित करने के अनुरोध सहित।
6. सचिव, पंचायती राज विभाग को पंचायत राज संस्थाओं में प्रसारित करने के अनुरोध सहित।
7. मंडलायुक्त, गढ़वाल एवं कुमाऊँ मण्डल।
8. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर को वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(संतोष बडोनी)
अनुसचिव